

MR. SPEAKER: I am not closing the matter. He can write to me. But now I cannot allow it.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East): I cannot understand how it is that the Minister has been permitted to make a one sentence statement and he was not asked earlier to have a look at the statement of the Hon. Member. The difficulty is, the Minister merely tries to contradict what the Hon. Member has said and we are left high and dry. This is the fag end of the session. You were advising Mr. Ranga to write to you. Tomorrow we are departing. At the end of the Session are we going to have the feeling that Shri Basu made a statement which the Minister contradicted and we do not know what to do about it (Interruptions).

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai): Sir, since a serious allegation has been made about a particular Hon. Member and even after contradiction by the Hon. Member concerned he sticks to it, I think some method must be found out to know the truth.

MR. SPEAKER: I am not objecting to it. You find the relevant rule and do anything.

SHRI RANGA: We expect the Chair to give a direction to the Minister. I have put it in the softest possible manner that they should not indulge in these false charges.

MR. SPEAKER: You have said about all Ministers in general.

SHRI RANGA: In this particular case the Minister still sticks to it. What does it mean? We say one thing, he says another thing and, therefore, somebody else has to take a decision. I can only say, Sir, that you should be good enough to consider this matter as pertaining to the question of privileges of Members. Therefore, I request you to keep it on your Table for consideration and to be referred to the Privileges Committee.

Some Hon. Members rose—

MR. SPEAKER: Order, order. I am not allowing a discussion on this. We are passing on to the next item.

12.22 hrs.

MATTER UNDER RULE 377 RE.
KUTCH AWARD

श्री मधु लिमये (मुंजर) : अध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा कि पिछले सत्र के अन्तिम सप्ताह में याने 7 मई को भारत सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा लोक-सभा के सामने समय समय पर दिये गये कच्छ रण सम्बन्धी बयानों तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में विदेश मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा हलफनामे में किए गए बयानों में जो विरोध या टकराव था, उस के मुतालिक मैं ने एक प्रस्ताव सदन के सामने रखना चाहा था। जहां श्री लालबहादुर शास्त्री ने 11 मई, 1965 को साफ शब्दों में कहा था कि कंजरकोट, बियार बेट, छाड़बेट के बारे में हमारी साफ राय है कि यह कच्छ का हिस्सा है और इस भूमिका से हम जरा भी हिलने वाले नहीं हैं, वहां हलफनामे में यह बताया गया है कि यह इलाका हम ने जबर्दस्ती लिया था और आज हमारे एडवर्स पजेक्शन में है.....

MR. SPEAKER: It is in the Supreme Court. It has been admitted.

श्री मधु लिमये : आप की इजाजत से यह बयान मैं दे रहा हूँ। यह एजेंडे पर है। बयान मुझे पढ़ने दीजिये।

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON): His prayer is that it may be admitted and taken up in the next session.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): Sir, I rise to a point of order. When the matter is before the Supreme Court.....

श्री मधु लिमये : मैं उस के गुण तथा अवगुण के बारे में बिलकुल बोल ही नहीं रहा हूँ। मेरा मुद्दा दूसरा है।

...मेरा प्रक्रिया के बारे में है। आप सुनिये तो पता चलेगा।

SHRI R. D. BHANDARE: Sir, the subject matter of the proposition on which Shri Madhu Limaye is speaking is before the Supreme Court and therefore that proposition should not be allowed to be spoken of in the House at all.

MR. SPEAKER: I am very clear in my mind that it is admitted in the Supreme Court and no further discussion should be allowed here. It is *sub judice*. I thought the Hon. Member wanted to make a mere statement. Since it is already in the Supreme Court no further discussion can be allowed here. I am extremely sorry to say that I did not see the statement. It is on the Agenda no doubt, but I would request Shri Madhu Limaye now not to proceed with it.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर सख्त ऐतराज है। आप मेरा पूरा बयान सुनोगे तब आप को पता चलेगा कि मैं नियमों कि खिलाफ बिलकुल नहीं जा रहा हूँ उन के मुताबिक ही चल रहा हूँ।

MR. SPEAKER: I appeal to him now. It is in the interest of both the parties.

श्री मधु लिमये : मेरी प्रक्रिया की बात सुन लीजिये। गुण-अवगुण पर मैं नहीं गया हूँ। आप मेरा बयान देख लीजिये और बतलाइये कि मैं मैरिट्स में कहाँ गया हूँ?

MR. SPEAKER: It is very difficult for me to say that.

श्री मधु लिमये : मुझे अपना बयान पूरा पढ़ लेने दीजिये उस के बाद आप अपना निर्णय दीजियेगा।

MR. SPEAKER: I made a mistake in allowing it.

श्री मधु लिमये : आप ने कोई गलती नहीं की है। आप ने नियमों के अनुसार

कार्यवाही की है। आप को पूरा बयान सुनना चाहिए और इस में आप की कोई गलती नहीं है और मेरी तो बिलकुल ही कोई गलती नहीं है।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba): Kindly see rule 186. It clearly says:

"it shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India."

Therefore, if it has some relevance to what is pending in court, it cannot be raised.

SHRI NATH PAI (Rajapur): What is under adjudication?

MR. SPEAKER: All right. Let Shri Limaye continue his statement.

Let him have that satisfaction.

श्री मधु लिमये : मैं नियमों के बारे में बोल रहा हूँ गुण-अवगुण में मैं कहाँ जा रहा हूँ?

SHRI A. S. SAIGAL (Bilaspur): Sir, I rise on a point of order. I will quote the relevant rule also. The rule says:

"A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise before the House together with reaction for wishing to raise it, and shall be permitted to raise it (before) after the Speaker has given his consent and at such time and in the as the Speaker may fix."

When you have not given consent that this cannot be taken up..... (interruptions).

MR. SPEAKER: Will you allow me to sit down? May I request you to give me your permission, how can it come before the House? (दक्षिण) : agenda? I was only saying that the matter is out going into the details, take, I have given permission (श्री सलीम

[Mr. Speaker.]

my mistake. Still, since he is insisting on his right, I said "come along, read it".

श्री मधु लिमये : मैं अदब के साथ कहता हूँ कि आप की कोई गलती नहीं है फिर खामख्वाह आप गलती क्यों कबूल कर रहे हैं? मैं आप को साबित कर सकता हूँ कि आप की कोई गलती नहीं है लेकिन चूँकि यह लोग हल्ला कर रहे हैं इसलिए आप अपनी गलती कबूल कर रहे हैं। आप की कोई गलती नहीं है लेकिन आप खामख्वाह अपनी गलती मान रहे हैं।

MR. SPEAKER: You cannot say what I feel. I feel I have made a mistake.

श्री मधु लिमये : मेरा सवाल नियम तथा प्रक्रिया के बारे में है मैरिट्स के बारे में नहीं है।

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada): Sir, when you have said that it was by mistake, it is up to Shri Limaye not to take undue advantage of it. You have been very accommodating and it is very unfair for him now.....(interruptions).

MR. SPEAKER: Let him read it.

श्री मधु लिमये : यह प्रस्ताव न सिर्फ आप के द्वारा स्वीकारा गया था बल्कि इसका समावेश उस दिन की सूची में भी किया गया था। अब इन प्रस्ताव पेश करने के पहले कानून श्री गोविन्द मेनन साहब ने इस Wh को ले कर एतराज किया कि मामला थिनल्य के विचाराधीन है और नियमानु- there a de उस पर बहस नहीं की जा सकती। I consider श्री गोविन्द मेनन साहब ने न केवल the q प्रस्ताव की प्रति भेज पर रखने bers. र किया बल्कि मेरे द्वारा यह keep it रखे जाने का भी विरोध किया। ration a villeges बाद आपने कहा कि व्यवस्था Some इन पर मैं अपना निर्णय बाद

में दूंगा और उस समय तक बहस को स्थगित किया जाय।

9 मई को आपने अपना फैसला दिया और मुझे कच्छ का हलफनामा सदन की टेबल पर रखने की इजाजत दी। लेकिन जहाँ तक प्रस्ताव पर बहस करने का सवाल था, आपने फरमाया कि अगर बहस का विषय और अदालत के सामने जो विषय है, उनमें अत्यधिक साम्य है तो इसको न्यायालय के विचाराधीन समझना चाहिए और जब तक इस पर अदालत का फैसला नहीं होता है, प्रस्तावों पर बहस मुलतबी रखनी चाहिए। इस साधारण सिद्धान्त की रोशनी में आपने अन्त में कहा कि :

"Hence I consider that discussion on the notice of motion should be postponed until the court has delivered its judgment. I am, however, clear that the matter is of public importance which should be discussed in the House and its importance will not be lost of the House waits until the court has adjudicated in the matter."

इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया ; मैं ने इस प्रस्ताव की नोटिस को दोहराया और आपने तेईस जुलाई को उसे स्वीकार कर सदस्यों में परिचालित भी किया। मेरे प्रस्ताव की शब्दावली इस प्रकार है :—

"कि यह सभा कच्छ पंचाट के कार्यान्वयन के बारे में लेख याचिका के सम्बन्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार की ओर से वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा पेश किए गए शपथ-पत्र में सरकार की ओर से दिए गए वक्तव्य का निरनु-मोदन करती है, चूँकि उसमें कही गई बातें, कच्छ के रन के बारे में सरकार की ओर से समय समय पर कही गई हर बात के प्रतिकूल है"।

मैं ने कई बार सदन में श्रीर कमेटियों में मांग की कि आपके निर्णय को मद्दे-नज़र रखते हुए मेरे प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाय और उस पर जल्दी बहस कराई जाय। लेकिन 33 दिनों तक संसद् कार्य मंत्री ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और आप के स्पष्ट निर्णय की अवहेलना की। 26 अगस्त को यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निम्न हुक्म जारी किया है :—

Upon perusing the petition and the accompanying documents and upon hearing the petitioner in person the Court directed the issue of Rule Nisi, to be connected with other Kutch matters. No ex-Parte stay. But notice of motion may be taken out.

Ordered on 26th August, 1968

1. Chief Justice Mr. Hidayatulla
2. Mr. Justice Shelat
3. Mr. Justice Bhargawa
4. Mr. Justice Mitter
5. Mr. Justice Vidyalingam.

इसका साफ मतलब है कि अब यह मामला फिर न्यायालय के विचाराधीन हो गया है "सबजुडीके" हो गया है और अब इस पर बहस नहीं हो पायेगी।

किसी पर इलजाम लगाने में मुझे ज़रा भी खुशी नहीं है। लेकिन आज में कुछ गुस्से और कुछ अफसोस के साथ पूछना चाहता हूँ कि क्या संसद् कार्य मंत्री ने जान-बूझ कर इस मामले में टाल-मटोल की नीति नहीं अपनाई? मेरे प्रस्ताव के लिए जान-बूझ कर समय नहीं दिया, ताकि यह मामला फिर से न्याय अधीन हो जाय? मुझे सख्त एतराज़ है कि सार्वजनिक महत्व के तथा राष्ट्रीयता से संबंधित कच्छ जैसे मामले में वंचना और धोखे का रास्ता अपनाया गया है। इसलिए मेरी आप

से प्रार्थना है कि अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के पश्चात् कम से कम मेरे प्रस्ताव को प्राथमिकता दे कर इस पर अगले सत्र में बहस करायी जाय और हमें अपनी भावना को तथा विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया जाय।

एक प्रार्थना मैं और करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस में आप की क्या गलती हुई और मेरी क्या गलती हुई?

श्री रबी राय : अध्यक्ष महोदय, आप की कोई गलती नहीं है। (Interruption)

(At this stage there was some disturbance in the Visitors' (Ladies) Gallery).

(Interruption).

MR. SPEAKER: Order, order. Whether you discuss it in the next session or not all depends upon whether by that time the Supreme Court decides it or not. I can entirely agree that after the Supreme Court decision you have a right to discuss it. This House is the highest authority; but let us see.

2-34 HRS.

MOTIONS RE: JOINT COMMITTEE ON FOREIGN MARRIAGE BILL—Contd.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI M. YUNUS SALEEM): Mr. Speaker, Sir, I had moved the motion yesterday. The motion which was moved on the 13th August has been circulated for the information of Hon. Members of the House and the objection which was raised yesterday by Hon. Members has been removed. Therefore I request that this amendment may be accepted.

MR. SPEAKER: He has corrected and circulated it. I hope, he has the leave of the House.

श्री ज़ार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर व्यवस्था का प्रश्न है। कल जो प्रस्ताव श्री सलीम